रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 195] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 30, 1972/भाद्र 8, 1894

No. 195] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 30, 1972/BHADRA 8, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 30th August, 1972

No. DRAWBACK/PN-74/72.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK [illegible] Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. Drawback/Pn-1 dated the 15th October, 1971.

(a) For Sub-serial No. 2623 and 2624 and the entries relating there to, the following shall be substituted :—

Sub-Sr. No.	Description of goods	Rate of drawback
2623	Cotton handloom fabrics namely the following :—	
	(i) Real Madras Handkerchief with art silk embelishment.	1 % (one per cent) of the FOB value. OR Re. 0·51 (Fifty one paise only) per kg. which ever is more.
	(ii) Handloom Lungies.	2·4% (Two point four per cent) of the FOB value.
	(iii) All other hand -Loom fabrics which are made from coloured yarns and/or printed (but excluding such fabrics which contain coloured yarns only in border and not in the body of the fabric and/or which are only printed in borders and not in the body of the fabrics).	Re. 0.51 (Fifty one paise only) per kg.
2624	Vacant	

(b) For Sub-serial no.2703 and the entries relating there to the following shall be substituted namely:—

Sub-Sr. no.	Description of goods	Rate of drawback
2703	Made up articles of cotton handloom fabrics falling under Sub-Serial no.2623 (ii) and 2623 (iii).	Re.0.51 (Fifty one paise only) per kg.

B. N. RANGWANI,
Joint Director (Drawback).

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त 1972

सं० प्रतिअदायगी/पी० एन०/74/72.—सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात प्रतिअदायगी नियमावली, 1971, (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र०अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी०एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

(क) उप क्रमांक 2623 तथा 2624 और तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के लिये निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा :—

उप क्रमांक	माल का विवरण	प्रति अदायगी की दर
1	2	3
2623	हथकरघे के सूती वस्त्र अर्थात् निम्नलिखित :—	
	(i) वस्तुत: मद्रासी रुमाल जिसमें नकली रेशम की सजावट हो।	जहाज तक नि:शुल्क मूल्य का 1 प्रतिशत (एक प्रतिशत) 0.51 रु० अथवा (केवल इक्यावन पैसे) प्रति किलोग्राम, इन दोनों में से जो भी अधिक हो।
	(ii) हथकरघे की लुंगियां।	जहाज तक नि:शुल्क मूल्य का 2.4 प्रतिशत (दो दशमलव चार प्रतिशत)
	(iii) अन्य सभी प्रकार के हथकरघ के वस्त्र जो या तो रंगे-रंगाये कपड़े तथा/अथवा रंजित धागे से बुने हुए तथा/अथवा छपे हों (किंतु ऐसे वस्त्रों को छोड़कर जिनका केवल किनारा ही रंजित धागे का होता है, पूरा वस्त्र नहीं होता, तथा/अथवा जिनके केवल किनारे ही छपे होते हैं, तथा पूरे वस्त्रों में छपाई नहीं होती)।	0.51 रु० (इक्यावन पैसे) प्रति किलोग्राम
2624	खाली	

1	2	3
	(ख) उप क्रमांक 2703 तथा तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के लिये निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा । अर्थात् :—	

उप-क्रमांक	माल का विवरण	प्रति अदायगी की दर
2703	हथकरघे के सूती वस्त्रों की बनी बनायी वस्तुएं जो उप-क्रमांक सं० 2623 (ii) तथा 2623 (iii) के अंतर्गत आती हैं ।	0.51 रु० (केवल इक्यावन पैसे) प्रति किलोग्राम ।

बी० एन० रंगवानी

संयुक्त निदेशक (प्रति-अदायगी)

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972